शैक्षिक समाचार
राजस्थान
शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली

कार्यालय आदेश

आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:–शिविरा/माध्य/डी–2/विविध/10–11 दिनांक:–05–5–2011

समस्त उप निदेशक (माध्यमिक)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

विषयः– एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 1580/2011 जगमाल सिंह वर्सेज स्टेट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्देश बाबत शिक्षण एवं विद्यालयी गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों हेतु विद्यालय भवन/भूमि एवं खेल मैदान का उपयोग नहीं करने बाबत।

प्रसंग – पत्रांक पीएस/पीएयई/2010/76 दिनांक 16.03.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 16.03.11 (छाया प्रति संलग्न) के निर्देशानुसार एस0बी0सिविल रिट पिटिशन नं. 1580/2011 जगमाल सिंह वर्सेज स्टेट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन किसी भी राजकीय विद्यालय भवन भूमि/खेल मैदान को शैक्षिक/सहशैक्षिक गतिविधियों के अलावा अन्य किसी उपयोग हेतु नहीं दिया जावें।

सलंग्न.– उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली

क्रमांक :– शिविपा/मा0/सा0/1415 दिनांक :– 30/05/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

(1) श्रीमान .... को सूचनार्थ।

(2) समस्त प्रधानाचार्य एवं प्रबोधन केन्द्राधीक्षक राउमावि .... को भेजकर लेख है कि आपके विद्यालय एवं आपके प्रबोधन केन्द्र के अधीन समस्त विद्यालयों को प्रासंगिक पत्र के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाकर पालना से अवगत करवाने हेतु परिपत्र भिजवावें।

जिला शिक्षा अधिकारी

Scanned by CamScanner

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / माध्य / मा–स / एसडीएमसी / 22423 / 2015–19 दिनांक 19.03.19

परिपत्र

राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान एवं अतिरिक्त भूमि का विभिन्न कार्यो के लिये अल्पावधि उपयोग करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं / सामाजिक संस्थाओं एवं अन्य अभिकरणों द्वारा आवेदन किये जाते है। इस संबंध में संस्था प्रधानों द्वारा अनुमति देने के लिये पृथक–पृथक मानदण्ड़ अपनाए जा रहे है। अनुमति देने में एकरूपता के लिये निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है :–

1 विद्यालय की दैनिक उपयोग में आने वाली अतिरिक्त भूमि / खैल मैदान को अल्पावधि हेतु अन्य संस्था को उपयोग में लेने की अनुमति देने से पूर्व, इसका आंकलन कर लिया जावे कि इससे विद्यार्थियों के दैनिक अध्ययन / खेल प्रभावित नहीं होंगे। अवकाश की अवधि में ही उक्त प्रकार की स्वीकृति, एसडीएमसी की पूर्व सहमति से संस्था प्रधान द्वारा जारी की जावे।

2 आवेदक द्वारा आयोजन में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग एवं उनकी नियन्त्रित तीव्रता, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के निर्धारित समय इत्यादि प्रतिबंधों की पालना की जानी अनिवार्य होगी, जिसका शपथ पत्र आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा।

3 किसी भी संस्था द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन में उक्त भूमि के उपयोग, यदि कोई आयोजन है तो उनमें होने वाली संभावित उपस्थित, उनकी सुरक्षा हेतु किये गये उपाय, आकस्मिक मेड़िकल सहायता, बिजली पानी का समुचित प्रबन्धन इत्यादि बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा । इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन (न्यूनतम उपखण्ड़ अधिकारी स्तर से) द्वारा जारी आयोजन की स्वीकृति प्रस्तुत की जानी होगी, जिसके आधार पर ही एसडीएमसी की पूर्व सहमति से संस्था प्रधान द्वारा भूमि उपयोग की स्वीकृति जारी की जा सकेगी। इस संबंध में आयोजन से संबंधित समस्त सरकारी विभागों की वांछित अनापत्ति संस्था प्रधान द्वारा आयोजक से आवेदन के साथ प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

4 ऐसे किसी भी आयोजन के उपयोग के लिये भूमि अथवा खेल मैदान की स्वीकृति नहीं दी जावे, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा धार्मिक / सामाजिक / सांस्कृतिक भावनाएं आहत होने की संभावना हो।

5 भूमि / खेल मैदान के उपयोग कि दैनिक दर स्थानीय निकायों की दर के अनुरूप आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त आधार पर एसडीएमसी द्वारा पूर्व में ही नियत कर, आवेदक को अवगत करा दिया जावे। उक्त अवधि में विद्यालय में पानी एवं बिजली के उपभोग एवं साफ सफाई के व्यय की राशि आवेदक से वसूली जावे। उक्त राशि एसडीएमएसी के खाते में जमा होगी।

शिक्षक समाधान राजस्थान

Scanned by CamScanner

6 संस्था प्रधान की स्वीकृति उपरांत आगामी तीन दिवस में एसडीएमसी द्वारा निर्धारित किराया राशि की तीन गुणा राशि धरोहर राशि के रूप में तथा अनुमानित बिजली–पानी एवं साफ–सफाई का व्यय आवेदक संस्था द्वारा जमा नहीं कराने पर स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी।

7 आवेदक द्वारा आयोजन उपरांत संस्था प्रधान को भूमि/खेल मैदान, पूर्ण साफ–सफाई एवं टूट –फूट की मरम्मत करवा कर सुपुर्द किया जाएगा, जिसके समुचित अवलोकन एवं आकलन के उपरांत संस्था प्रधान द्वारा जमा की गई धरोहर राशि में से, शेष राशि आवेदक को लौटाई जा सकेगी।

8 इस हेतु आवेदन संस्था प्रधान को ही किया जाएगा, जिसका निर्णय एडीएमसी द्वारा विद्यार्थियों का नियमित अध्ययन/खेल गतिविधि प्रभावित नहीं होने की सुनिश्चितता की स्थिति में ही किया जाएगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त जिला कलक्टर।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक ।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. उपशासन सचिव–प्रथम्, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विभाग में समस्त भूमि/भवन/खेल मैदान की उपयोगिता बाबत् समस्त विभागीय पत्राचार/अनापत्ति /स्वीकृति/मार्गदर्शन/प्रबोधन संबंधी कार्यवही सर्वोच्च प्राथमिकता से संपादित की जानी सुनिश्चित करावें तथा उपर्युक्त निर्देशों की फील्ड में सम्पूर्ण पालना हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को पाबंद करावें।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) –माध्यमिक/प्रारंभिक
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
10. समस्त संस्था प्रधान– राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि।
11. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु
12. रक्षित पत्रावली

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

शिक्षक समाचार राजस्थान

Scanned by CamScanner

किताबों की फोटोकॉपी करना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं

नई दिल्ली ● दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किताबों की फोटोकॉपी करने से कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता। कॉपीराइट का मतलब किसी चीज को पूरी तरह अपने अधिकार में कर लेना नहीं है। हाईकोर्ट ने यह बात तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और टेलर एंड फ्रांसिस की याचिका पर कही। इन प्रकाशकों ने याचिका दायर करके दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के पास एक फर्म से किताबों की फोटोकॉपी बेचे जाने को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उनकी किताबों की फोटोकॉपी बेचे जाने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि छात्रों ने किताबें लेना बंद कर दी हैं। यह कॉपीराइट एक्ट के तहत उन्हें मिले अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद अदालत ने नवम्बर 2012 में किताबों की फोटोकॉपी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

कोर्ट के इस आदेश के बाद डीयू के छात्र अब फिर किताबों की फोटोकॉपी खरीद सकेंगे। उन्हें महंगी किताबें खरीदने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। छात्रों की दलील थी कि इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की किताबें काफी महंगी होती हैं। हर छात्र इन्हें खरीद नहीं सकता। कभी-कभी किसी किताब के कुछ ही पेज की जरूरत होती है, उसके लिए पूरी किताब खरीदने के लिए मजबूर करना कहां तक जायज है।

स्कूल परिसर किराए पर दे सकेंगे संस्था प्रधान

बीकानेर @ पत्रिका . सरकारी विद्यालय भवनों व परिसरों को अब संस्था प्रधान विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लेकर अपने स्तर पर किराए पर दे सकेंगे। स्कूल की आय में वृद्धि के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी संस्था प्रधानों को इस प्रकार के निर्देश जारी किए है। इसके अलावा अवकाश के दिनों में भी स्कूल भवनों को सार्वजनिक उपयोग के लिए किराए पर दिया जा सकेगा।

खाली पड़े स्कूल भवनों को किराए पर देंगे जिला कलक्टर

विद्यालयों को मर्ज करने के बाद सूने पड़े हैं 1340 भवन

जयपुर ● कम नामांकन के कारण बंद हुए सरकारी स्कूल अब किराए पर दिए जाएंगे। कम नामांकन के कारण मर्ज होने के कारण बंद हुए इन सरकारी विद्यालयों के भवनों को किराए पर देने का अधिकार जिला कलक्टर के पास होगा। प्रदेश में 2 साल पहले 15 से कम विद्यार्थी संख्या का नामांकन होने के कारण सरकारी विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया था जिसके कारण लगभग 1340 सरकारी विद्यालयों के भवन खाली हो गए थे। यह विद्यालय भवन वर्तमान में खंडहर हो रहे है और कभी बच्चों की आवाज से गूंजने वाले यह भवन विद्यालयों को मर्ज करने के बाद सूने हो गए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग एजुकेशन न्यूज़ ग्रुप ने इन भवनों को खंडहर होने से बचाने के लिए अब जिला कलक्टर के माध्यम से इन भवनों को किराए पर देने की योजना तैयार की है। जिसके बाद अब विद्यालयों में सरकारी ऑफिस, व्यावसायिक गतिविधियां चल सकेंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कार्ययोजना तैयारी की है जिसमें जो भी विद्यालय भवन लेने का इच्छुक है उन्हें जिला कलक्टर के यहां आवेदन करना होगा और आवेदन करने के बाद कलक्टर भवन को किराए पर दे सकेंगे।

खाली हुए भवनों को जिला कलक्टर किराए पर दे सकेंगे। इसके लिए पूरी कार्ययोजना तैयार की गई है और किराए के मापदंड भी तैयार कर दिए गए हैं।

वासुदेव देवनानी
शिक्षा राज्य मंत्री

File	सामान्य
OM	
Date	30/12/16
DIC	
OS	
Inward No.	2/2.1.17

राजस्थान – सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक– प.17(2)प्राशि/आयो./भूमि–भवन./2016 जयपुर दिनांक– 28/12/2016

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान। अलवर

विषय – शिक्षा विभाग के रिक्त भवनों के उपयोगार्थ के संबंध में।
संदर्भ – सचिव–II, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय की अ.शा.टीप क्रमांक CMO/Dir(S)/CMDirection/2016 Date 5.12.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अ.शा.टीप(संलग्न) के क्रम में निर्देशानुसार आपके जिले में शिक्षा विभाग के रिक्त विद्यालय भवनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन आवश्यकता वाले अन्य राजकीय विभागों/संस्थाओं को आवंटित करने हेतु संबंधित जिले के जिला कलक्टर को अधिकृत किया जाता है –

1. जिन विभागों के पास बजट उपलब्ध है, उन्हे किराये से एवं जिनके पास बजट उपलब्ध नहीं है उन्हें निःशुल्क रिक्त विद्यालय भवन आवंटन किया जावे। किराये से प्राप्त राशि को संबंधित विद्यालय की विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMDC/SMC) के कोष जमा कराया जावें।
2. रिक्त विद्यालय भवनो का मालिकाना हक शिक्षा विभाग का ही रहेगा।
3. आवंटित भवन को बेचने या भविष्य में किसी अन्य को किराये पर देने की स्वीकृति नहीं होगी। विभाग जिसको भवन आवंटित किया गया है, वह स्वयं के ही उपयोग में ले सकेगा।
4. भविष्य में शिक्षा विभाग को भवन की आवश्यकता होने पर पुनः भवन शिक्षा विभाग को लौटाना होगा।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव–II, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय को अ.शा.टीप क्रमांक CMO/Dir(S)/CMDirection/2016 Date 5.12.2016 के क्रम में प्रेषित है।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–प्रारं/साप्र/डी/3113/भसू/वो–III/13–14/05 दि. 06.12.16

उप निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)

विषयः– रिक्त भवनों के संबंध में।
प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 03 दि. 30.11.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा स्कूल शिक्षा के अधीन वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रिक्त भवनों की जिलेवार सूची चाही गई है। अतः इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को निर्देशित किया गया था कि आपके अधीन स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रिक्त भवनों की जिलेवार सूची निम्नांकित प्रपत्र में तैयार कर संबंधित उप निदेशक को दिनांक 01.12.16 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें एवं एक प्रति निदेशालय के निम्न ईमेल पते पर भी हार्ड एवं साफ्ट प्रति में भिजवावें। संबंधित उप निदेशाकों को निर्देशित किया गया था कि उनके अधीन समस्त जिलों की वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर पूरे मंडल की समेकित सूचना हार्ड एवं साफ्ट कापी में दिनांक 02.12.16 तक निदेशालय को ईमेल पता– gadele726@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चत करें।

परन्तु वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक तक अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वांछित सूचना तत्काल चाही जा रही है अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रदत्त निर्देशानुसार वांछित सूचना आज ही इस कार्यालय को भिजवावें अन्यथा इस संबंध में किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे–

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रिक्त भवनों की सूची–

जिला	पं.सं.	स्तर कार्यालय/राप्रावि/राउप्रावि	कार्यालय/विद्यालय का नाम
1	2	3	4

6.12.16
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

एक पंथ दो काज...

मर्ज से खाली हुए स्कूलों में चलेंगे दूसरे दफ्तर

दूसरे विभागों को मिलेगी जगह, एसडीएमसी कोष में जमा होगा किराया

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

उदयपुर. एकीकरण के बाद से खाली विद्यालय भवन दूसरे विभागों को देने की तैयारी है। कहीं इन्हें किराये पर तो कहीं, मुफ्त दिया जाएगा। किराया विद्यालय विकास व प्रबंधन समिति के खाते में जाएगा, जिसका खर्च विद्यालय और विद्यार्थियों के विकास पर होगा। सरकार ने ये भवन दूसरे विभागों को उपलब्ध कराने के आदेश शिक्षा विभाग को दे दिए हैं। इन्हें देने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बता दें कि राज्य सरकार ने 30 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में मर्ज करने के आदेश दिए। जिले के 17 ब्लॉक में सत्र 2014-15 के दौरान 544 व 2016-17 में 121 विद्यालय मर्ज हुए थे। सबसे ज्यादा मर्ज विद्यालयों की संख्या भींडर में 94 व खेरवाड़ा में 77 है। इनमें से 84 स्कूलों के भवन शिक्षा विभाग के मालिकाना हक वाले हैं।

विलय हुए 655 प्रावि के 84 भवन खाली

गांवों में हो सकता है सदुपयोग

जो विद्यालय मर्ज हुए, उनके लाखों की लागत वाले भवन खस्ता हाल हो रहे हैं। गांवों में हालत ज्यादा खराब है। प्राथमिक शिक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन साल में 14 हजार 297 प्राथमिक तथा 2364 उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हुए। हालांकि इन तीन वर्ष में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में इजाफा भी हुआ। सरकार ने 1367 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय नए खोले हैं।

किराये पर देने के ये बनाए नियम

1. जिस विभाग के पास बजट है, उसे किराये पर व जिसके पास नहीं है, उन्हें भवन निःशुल्क दिया जाएगा।
2. किराया संबंधित विद्यालयों की विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के कोष में जमा होगा।
3. रिक्त भवन का मालिकाना हक शिक्षा विभाग का ही रहेगा।
4. जिस विभाग को उपयोग के लिए दिया जाएगा वही उपयोग कर सकेगा।
5. शिक्षा विभाग को जब कभी जरूरत पड़ी, भवन लौटाना होगा।
6. उक्त प्रक्रिया कलक्टर की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए होगी।

कब कितने स्कूल हुए मर्ज

ब्लॉक	2014-15	2016-17
खेरवाड़ा	69	08
ऋषभदेव	23	06
झाड़ोल	43	04
बड़गांव	25	02
कुराबड़	32	01
मावली	58	06
गिर्वा	27	01
भींडर	75	19
सराड़ा	30	03
सेमारी	25	01
सलूम्बर	45	19
उदयपुर शहर	24	23
लसाड़िया	18	11
गोगुन्दा	49	11
कोटड़ा	-	03
सायरा	-	01
फलासिया	-	01
झल्लारा	-	1

बंद स्कूलों में खुलेंगे नई पंचायतों के दफ्तर

सरकार ने कलक्टरों को दिए आदेश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

उदयपुर. राज्य में स्कूलों के एकीकरण के बाद से खाली पड़े स्कूल भवनों को उपयोग में लेने की राज्य सरकार ने शुरुआत कर दी है। सबसे पहले नई गठित ग्राम पंचायतों के दफ्तर इन भवनों में चलाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार ने सभी जिला कलक्टरों से कहा है कि इस कार्य को वे प्राथमिकता से पूरा कराएं।

स्कूलों के एकीकरण के बाद से कई सूने पड़े हैं। उनकी सार-संभाल भी नहीं हो रही है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने इनमें पंचायतों के कार्यालय चलाने में रूचि दिखाई है। आयुक्त आनंद कुमार ने कहा कि उनके जिले में नवगठित ग्राम पंचायतों के कार्यालय खोले जाएंगे। जिन भवनों में जो बदलाव या जीर्णोद्धार करना है, उसके लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना से बजट जारी किया गया है।

नहीं मान रहे शिक्षा अधिकारी

सरकार ने कलक्टरों से कहा कि कुछ जिलों की पंचायतों के लिए भवन देने की बात बनी, लेकिन संबंधित शिक्षा अधिकारी इनका हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराया जाए।

होंगी ये जरूरतें

- सरपंच कक्ष
- ग्राम सचिव कक्ष
- पटवारी व लिपिक कक्ष
- बैठक कक्ष

64% 12:37 pm
akikarn rikt...

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–प्रारं/साप्र/ डी/2813/वो–1/एकीकरण/14/170 दिनांक–14/12/2016

उप निदेशक,
चूरू,जयपुर,कोटा, जोधपुर,अजमेर,भरतपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा (संबंधित)

विषयः– एकीकरण/समन्वय पश्चात रिक्त हुए विद्यालय भवनों की सूचना के संबंध में।
प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 140 दिनांक 10.11.16 एवं 158 दि. 17.11.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 09.08.16 के निर्देशानुसार एकीकरण/समन्वय से रिक्त भवन (आदर्श गठित राप्रावि/राउप्रावि में राप्रावि/राउप्रावि का एकीकरण किए जाने से रिक्त राप्रावि/राउप्रावि के भवन) जो कि पंचायतराज विभाग व पशुपालन विभाग को आवंटित किए जा चुके है संबंधी विद्यालयवार सूचना निम्नांकित प्रपत्र–1 में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एकीकरण/समन्वय के कारण अब कितने रिक्त विद्यालय भवन (आदर्श गठित राप्रावि/राउप्रावि में राप्रावि/राउप्रावि का एकीकरण किए जाने से रिक्त राप्रावि/राउप्रावि के भवन) आवंटन से शेष रहे है की विद्यालयवार सूचना निम्नांकित प्रपत्र–02 में तैयार कर दिनांक 10.11.16 चाही गई थी, तत्पश्चात कार्यालय द्वारा पुनः स्मरण कराये जाने के पश्चात भी वांछित सूचना अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पुनः राज्य सरकार से पत्र दिनांक 07.12.16 प्राप्त हुआ है उक्त प्रकरण सीएम कार्यालय से संबंद्ध है। अतः प्रकरण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रदत्त निर्देशानुसार वांछित सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवावें–

प्रपत्र–1

एकीकरण से रिक्त विद्यालयों की सूची जिनके भवन (आदर्श गठित राप्रावि/राउप्रावि में राप्रावि/राउप्रावि का एकीकरण किए जाने से रिक्त राप्रावि/राउप्रावि के भवन) पंचायतराज विभाग व पुशपालन विभाग को आवंटित किया जा चुके है –

जिला	पं.सं.	क्रं.सं.	विद्यालय का नाम जिसका भवन आवंटित किया गया है।	कार्यालय का नाम जिसे भवन आवंटित किया गया है।	विभाग नाम जिसे भवन आवंटित किया गया है।	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र–2

पंचायतराज विभाग व पुशपालन विभाग को एकीकरण/समन्वय से रिक्त भवनों का आवंटन किए जाने के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एकीकरण/समन्वय के कारण अब कितने रिक्त विद्यालय भवन (आदर्श गठित राप्रावि/राउप्रावि में राप्रावि/राउप्रावि का एकीकरण किए जाने से रिक्त राप्रावि/राउप्रावि के भवन) आवंटन से शेष रहे है की विद्यालयवार सूचना–

जिला	पं.सं.	क्रं.सं.	विद्यालय का नाम	वि.वि.
1	2	3	4	5

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डूंगरपुर

क्रमांक:– जिशिअ/माध्य/डूंगर/सामा/2017/3739 दिनांक:– 28.02.2017

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यपक
राउमावि/रामावि(बालक/बालिका).....
जिला डूंगरपुर

विषय :– राजकीय विद्यायल परिसर में आमसभा/बैठकों का आयोजन करने की स्वीकृति नही देने बाबत्।
प्रसंग :– जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर पत्रांक:न्याय/2017/282 दि.23.02.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा विद्यायल परिसर में विद्यायली कार्यक्रमों के अलावा अन्य किसी भी संगठन को शैक्षिक कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम अयोजित करने की अनुमति प्रदान नही की जावे। इस प्रकार के आयोजनों की अनुमति/स्वीकृति आयोजनकर्ता संगठन के स्तर से संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं थाने से प्राप्त होने पर ही दी जावे।

इस सन्दर्भ में निम्न बिन्दुओं की पालना संबंधित संस्थाप्रधान सुनिश्चित करावे।

1. किसी भी संस्था/संगठन द्वारा आमसभा/बैठक/शैक्षिक कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यक्रम के लिये विद्यालय परिसर/भवन की मांग किये जाने पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उक्त कार्यक्रम आयोजन की अनुमति प्रदान नही की जावें।
2. राजकीय कर्मचारी/अधिकारी द्वारा आचरण नियमों की पूर्ण पालना की जावेगी तथा सामाजिक सोहार्द/सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधि/कार्यक्रम/सम्मेलन में भागीदारी नही की जावे।

समस्त नॉडल संस्थाप्रधान सुनिश्चित कर अधोहस्तक्षरकर्ता को अवगत करावें।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) डूंगरपुर
दिनांक:–28.02.2017

क्रमांक:– जिशिअ/माध्य/डूंगर/सामा/2017/3739

प्रतिलिपि:–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, डूंगरपुर
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर
3. श्रीमान् शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल उदयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) डूंगरपुर

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः–एफ. 17(ई)ग्रांविप/प्रशा–2/विका.यो./पंचा.शिविर/2016/ ५५२५ जयपुर,दिनांक 26-10-16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद –समस्त ।

विषयः– प्रत्येक शुकवार को आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के एकीकरण से खाली हुए भवनों का सूचीकरण कर नियमानुसार सबंधित ग्राम पंचायतों को कब्जा सुर्पुद कराने बाबत ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविरों बाबत मा0 मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 19.10.2016 को आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश प्रदान किये गये है पंचायत शिविरों के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के एकीकरण से खाली हुए भवनों का सूचीकरण कर स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार सबंधित ग्राम पंचायतों को कब्जा सुर्पुद कराया जावे ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के एकीकरण से खाली हुए भवनों का नियमानुसार सबंधित ग्राम पंचायतों को कब्जा सुर्पुद करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–प्रार / साप्र / डी / 3077 / वो–1 / 2010–11 / 402 दिनांक 10/01/2017

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)

विषय– शिक्षा विभाग के रिक्त भवनों के उपयोगार्थ के संबंध में।
प्रसंग:– प.17(2)प्राशि / आयो. / भूमि–भवन / 2016 दि.28.12.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रासंगिक पत्रों की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा विभाग के रिक्त भवनों के उपयोग के संबंध में राज्य सरकार के पत्र में प्रदत्त निर्देशानुसार जिला कलक्टर से संपर्क कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करावें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रतिलिपि:–

1. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके प्रारंभिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान – सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक– प.17(2)प्राशि / आयो. / भूमि–भवन. / 2016 जयपुर दिनांक– 28/12/2016

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान ।

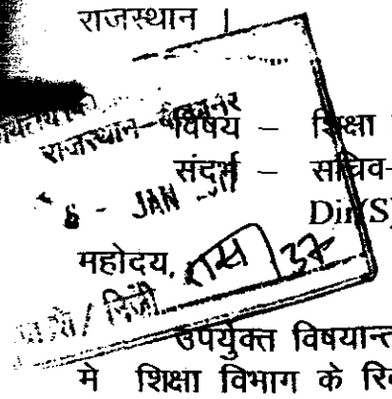

विषय – शिक्षा विभाग के रिक्त भवनों के उपयोगार्थ के संबंध में।
संदर्भ – सचिव–II, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय की अ.शा.टीप क्रमांक CMO/Dir(S)/CMDirection/2016 Date 5.12.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अ.शा.टीप(संलग्न) के क्रम में निर्देशानुसार आपके जिले मे शिक्षा विभाग के रिक्त विद्यालय भवनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन आवश्यकता वाले अन्य राजकीय विभागों / संस्थाओं को आवंटित करने हेतु संबंधित जिले के जिला कलक्टर को अधिकृत किया जाता है –

1. जिन विभागों के पास बजट उपलब्ध है, उन्हे किराये से एव जिनके पास बजट उपलब्ध नहीं है उन्हें निःशुल्क रिक्त विद्यालय भवन आवंटन किया जावे। किराये से प्राप्त राशि को संबंधित विद्यालय की विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMDC/SMC) के कोष जमा कराया जावें।
2. रिक्त विद्यालय भवनो का मालिकाना हक शिक्षा विभाग का ही रहेगा।
3. आवंटित भवन को बेचने या भविष्य में किसी अन्य को किराये पर देने की स्वीकृति नहीं होगी। विभाग जिसको भवन आवंटित किया गया है, वह स्वयं के ही उपयोग में ले सकेगा।
4. भविष्य में शिक्षा विभाग को भवन की आवश्यकता होने पर पुनः भवन शिक्षा विभाग को लौटाना होगा।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

[redacted]तिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव–II, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय को अ.शा.टीप क्रमांक CMO/Dir(S)/CMDirection/2016 Date 5.12.2016 के क्रम मे प्रेषित है।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक: प.26(3)साप्र/2/2014 जयपुर, दिनांक: 29/4/17

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

IMPORTANT

परिपत्र

विषयः–अधूरी/अबेन्डन/जीर्ण–शीर्ण राजकीय भवनों का सर्वे करने एवं राजकीय विभागों को आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई रूप से आवंटित करने के क्रम में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा 'सरकार आपके द्वार' के दौरान विभिन्न संभाग मुख्यालयों पर यह पाया गया है कि लगभग सभी जिलों में कई राजकीय भवन उपयोग योग्य, अधूरे, अबेन्डन, जीर्ण–शीर्ण अवस्था में उपलब्ध है। इस संबंध में राज्य सरकार के ध्यान में आया हैं कि एक ओर जहां कई राजकीय भवन उपयोग में नहीं लिये जा रहे हैं तथा नये भवनों के प्रस्ताव भिजवाये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर विभिन्न विभागों द्वारा काफी धनराशि व्यय करने के पश्चात् भी राजकीय भवन अधूरे पडे हैं। राजकीय भवनों की नियमित रूप से साज संभाल नहीं की जा रही है।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ.16(1)एआर/ग्रुप–1/2014 उदयपुर संभाग/फालोअप दिनांक 18.9.2014 को विद्रा करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. जिला स्तर पर यह पाया जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा भवन किराये पर लेने के लिये जिला कलक्टर से अनुपबधता प्रमाणपत्र चाहा जाता है, ऐसे प्रकरणों में भी संबंधित जिला कलक्टर द्वारा उक्त स्थान पर विषयान्तर्गत उल्लेखित भवन/अन्य विभागों द्वारा रिक्त किये गये भवनों की उलब्धता देख कर ही प्रमाण–पत्र जारी किया जाना है एवं यदि कोई राजकीय भवन रिक्त या अधूरी अवस्था में उपलब्ध हो तो उसे संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से किराये पर भवन नहीं लेने पडे।
2. समस्त जिला कलक्टर्स ऐसे सभी उपयोग योग्य, अधूरे, अबेन्डन, जीर्ण–शीर्ण अवस्था वाले ऐसे सभी राजकीय, गैर आवासीय एवं आवासीय भवनों के संबंध में सम्पत्ति रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसका प्रारूप कमशः प्रपत्र–1 तथा प्रपत्र–2 के रूप में दिया गया है। जब भी कोई राजकीय विभाग जिला कलक्टर को ऐसा कोई भवन अस्थाई रूप से आवंटित करने हेतु आवेदन करता है, तो उक्त ग्राम/शहर में उपरोक्त संधारित सम्पत्ति रजिस्टर से मिलान किया जायेगा एवं देखा जायेगा कि विभाग की आवश्यकता के अनुरूप उपयोग योग्य/अधूरे/जीर्ण–शीर्ण/अनुपयोगी भवन उपलब्ध है या नहीं। साथ ही अधूरे/जीर्ण–शीर्ण भवनों को कितनी राशि में ठीक करवाकर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। उसका तकमीना सार्वजनिक निर्माण विभाग/अन्य कार्यकारी एजेन्सी से तैयार कराया जायेगा तथा संबंधित विभाग को नक्शा मय तकमीना उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित विभाग तदनुसार प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित समक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिसके अनुमोदन के पश्चात् संबंधित निर्माण एजेन्सी को अधिकृत करते

...2

हुए प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग से राशि स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य संपादित करायेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जिला कलक्टर द्वारा उक्त सम्पत्ति का संबंधित विभाग को अस्थाई आवंटन किया जायेगा, जिसका अंकन सम्पत्ति रजिस्टर में किया जायेगा।

3. ऐसे प्रकरण जिनमें हाल ही में विद्यालयों के एकीकरण के कारण कई राजकीय भवन खाली हो गये हैं, को भी आने वाले समय में अनुपयोगी होने से बचाने के लिये अन्य विभागों को आवंटित किया जाना है। यदि विषयान्तर्गत उल्लेखित प्रकृति के भवनों में मरम्मत करायी जानी हो तो विभिन्न राजकीय योजनाओं के तहत उपलब्ध बजट का स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत के सहयोग से कराया जा सकता है। यदि ऐसे भवन उपलब्ध नहीं हो तो बिन्दु संख्या 2 में वर्णित प्रकिया अपनाते हुए अनुपयोगी भवन को उपयोगी बनाने का प्रयास किया जायेगा।
4. अब तक राजकीय भवनों को अस्थाई/स्थाई आवंटित करने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली जाती रही है। इस व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए इस प्रकार के अस्थाई आवंटन की शक्तियाँ संबंधित जिला कलक्टर को प्रदत्त की जाती हैं।
5. नजूल सम्पत्तियां उक्त सम्पत्तियों की श्रेणी में नही मानी जायेगी।
6. सार्वजनिक उपक्रम, यथा– रीको, आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, पंचायती राज संस्थाऐं, स्थानीय निकाय आदि की ऐसी सम्पत्तियां के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
7. राज्य द्वारा पूर्व में ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में पत्र क्रमांक: प.26(3)साप्र/2/2014 दिनांक 02.02.2015 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.2015, 31.03.2015, 06.11.2015, 01.12.2015, 12.02.2016 एवं 10.03.2016 द्वारा, जो सूचनाएँ मंगवाई गई थी उन सूचनाओं को जिला स्तर पर ही संधारण किया जायेगा एवं इसे पी0डी0एफ0 फोर्मेट में सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की सुविधा दी जायेगी। उक्त सम्पत्ति रजिस्टर को जिला कलक्टर द्वारा हर तीन माह में अपडेट कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।
8. जिला कलक्टर द्वारा सम्पत्तियों संबंधी उक्त सूचना का विभागवार व जिलेवार रजिस्टर संधारित किया जावेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(ओ. पी. मीना)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों/राजकीय उपक्रम/बोर्डो/निगमों/सरकारी कम्पनीज।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–प्रार / साप्र / डी / 3077 / वो–1 / 2010–11 / 402 दिनांक 10/01/2017

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)

विषय– शिक्षा विभाग के रिक्त भवनों के उपयोगार्थ के संबंध में।
प्रसंग:– प.17(2)प्राशि / आयो. / भूमि–भवन / 2016 दि.28.12.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रासंगिक पत्रों की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा विभाग के रिक्त भवनों के उपयोग के संबंध में राज्य सरकार के पत्र में प्रदत्त निर्देशानुसार जिला कलक्टर से संपर्क कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करावें।
संलग्न:– उपरोक्तानुसार

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:–

1. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

GAD
1/1/2017

राजस्थान – सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक– प.17(2)प्राशि/आयों./भूमि–भवन./2016 जयपुर दिनांक– 28/12/2016

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान ।

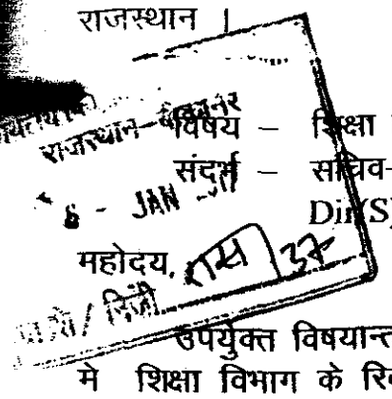

विषय – शिक्षा विभाग के रिक्त भवनों के उपयोगार्थ, के संबंध में।
संदर्भ – सचिव–II, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय की अ.शा.टीप क्रमांक CMO/Dir(S)/CMDirection/2016 Date 5.12.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अ.शा.टीप(संलग्न) के क्रम में निर्देशानुसार आपके जिले मे शिक्षा विभाग के रिक्त विद्यालय भवनों को निम्नांकित शर्तो के अधीन आवश्यकता वाले अन्य राजकीय विभागों/संस्थाओं को आवंटित करने हेतु संबंधित जिले के जिला कलक्टर को अधिकृत किया जाता है –

1. जिन विभागों के पास बजट उपलब्ध है उन्हे किराये से एव जिनके पास बजट उपलब्ध नहीं है उन्हें निःशुल्क रिक्त विद्यालय भवन आवंटन किया जावे। किराये से प्राप्त राशि को संबंधित विद्यालय की विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMDC/SMC) के कोष जमा कराया जावें।
2. रिक्त विद्यालय भवनो का मालिकाना हक शिक्षा विभाग का ही रहेगा।
3. आवंटित भवन को बेचने या भविष्य में किसी अन्य को किराये पर देने की स्वीकृति नहीं होगी। विभाग जिसको भवन आवंटित किया गया है, वह स्वयं के ही उपयोग में ले सकेगा।
4. भविष्य में शिक्षा विभाग को भवन की आवश्यकता होने पर पुनः भवन शिक्षा विभाग को लौटाना होगा।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

[redacted] तिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव–II, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय को अ.शा.टीप क्रमांक CMO/Dir(S)/CMDirection/2016 Date 5.12.2016 के क्रम मे प्रेषित है।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।

RDC
09/1/17

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक: प.26(3)साप्र/2/2014 जयपुर, दिनांक: 28/4/17

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

IMPORTANT

परिपत्र

विषयः–अधूरी/अबेन्डन/जीर्ण–शीर्ण राजकीय भवनों का सर्वे करने एवं राजकीय विभागों को आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई रूप से आवंटित करने के क्रम में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा 'सरकार आपके द्वार' के दौरान विभिन्न संभाग मुख्यालयों पर यह पाया गया है कि लगभग सभी जिलों में कई राजकीय भवन उपयोग योग्य, अधूरे, अबेन्डन, जीर्ण–शीर्ण अवस्था में उपलब्ध है। इस संबंध में राज्य सरकार के ध्यान में आया हैं कि एक ओर जहां कई राजकीय भवन उपयोग में नहीं लिये जा रहे हैं तथा नये भवनों के प्रस्ताव भिजवाये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर विभिन्न विभागों द्वारा काफी धनराशि व्यय करने के पश्चात् भी राजकीय भवन अधूरे पडे हैं। राजकीय भवनों की नियमित रूप से साज संभाल नहीं की जा रही है।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ.16(1)एआर/ग्रुप–1/2014 उदयपुर संभाग/फालोअप दिनांक 18.9.2014 को विड्रा करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. जिला स्तर पर यह पाया जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा भवन किराये पर लेने के लिये जिला कलक्टर से अनुपब्धता प्रमाणपत्र चाहा जाता है, ऐसे प्रकरणों में भी संबंधित जिला कलक्टर द्वारा उक्त स्थान पर विषयान्तर्गत उल्लेखित भवन/अन्य विभागों द्वारा रिक्त किये गये भवनों की उलब्धता देख कर ही प्रमाण–पत्र जारी किया जाना है एवं यदि कोई राजकीय भवन रिक्त या अधूरी अवस्था में उपलब्ध हो तो उसे संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से किराये पर भवन नहीं लेने पडे।
2. समस्त जिला कलक्टर्स ऐसे सभी उपयोग योग्य, अधूरे, अबेन्डन, जीर्ण–शीर्ण अवस्था वाले ऐसे सभी राजकीय, गैर आवासीय एवं आवासीय भवनों के संबध में सम्पत्ति रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसका प्रारूप कमशः प्रपत्र–1 तथा प्रपत्र–2 के रूप में दिया गया है। जब भी कोई राजकीय विभाग जिला कलक्टर को ऐसा कोई भवन अस्थाई रूप से आवंटित करने हेतु आवेदन करता है, तो उक्त ग्राम/शहर में उपरोक्त संधारित सम्पत्ति रजिस्टर से मिलान किया जायेगा एवं देखा जायेगा कि विभाग की आवश्यकता के अनुरूप उपयोग योग्य/अधूरे/जीर्ण–शीर्ण/अनुपयोगी भवन उपलब्ध है या नहीं। साथ ही अधूरे/जीर्ण–शीर्ण भवनों को कितनी राशि में ठीक करवाकर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। उसका तकमीना सार्वजनिक निर्माण विभाग/अन्य कार्यकारी एजेन्सी से तैयार कराया जायेगा तथा संबधित विभाग को नक्शा मय तकमीना उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित विभाग तदनुसार प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित समक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जिसके अनुमोदन के पश्चात् संबंधित निर्माण एजेन्सी को अधिकृत करते

हुए प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग से राशि स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य संपादित करायेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जिला कलक्टर द्वारा उक्त सम्पत्ति का संबंधित विभाग को अस्थाई आवंटन किया जायेगा, जिसका अंकन सम्पत्ति रजिस्टर में किया जायेगा।

3. ऐसे प्रकरण जिनमें हाल ही में विद्यालयों के एकीकरण के कारण कई राजकीय भवन खाली हो गये हैं, को भी आने वाले समय में अनुपयोगी होने से बचाने के लिये अन्य विभागों को आवंटित किया जाना है। यदि विषयान्तर्गत उल्लेखित प्रकृति के भवनों में मरम्मत करायी जानी हो तो विभिन्न राजकीय योजनाओं के तहत उपलब्ध बजट का स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत के सहयोग से कराया जा सकता है। यदि ऐसे भवन उपलब्ध नहीं हो तो बिन्दु संख्या 2 में वर्णित प्रकिया अपनाते हुए अनुपयोगी भवन को उपयोगी बनाने का प्रयास किया जायेगा।
4. अब तक राजकीय भवनों को अस्थाई/स्थाई आवंटित करने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली जाती रही है। इस व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए इस प्रकार के अस्थाई आवंटन की शक्तियाँ संबंधित जिला कलक्टर को प्रदत्त की जाती हैं।
5. नजूल सम्पत्तियां उक्त सम्पत्तियों की श्रेणी में नही मानी जायेगी।
6. सार्वजनिक उपक्रम, यथा– रीको, आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, पंचायती राज संस्थाऐं, स्थानीय निकाय आदि की ऐसी सम्पत्तियां के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
7. राज्य द्वारा पूर्व में ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में पत्र क्रमांकः प.26(3)साप्र/2/2014 दिनांक 02.02.2015 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.2015, 31.03.2015, 06.11.2015, 01.12.2015, 12.02.2016 एवं 10.03.2016 द्वारा, जो सूचनाएँ मंगवाई गई थी उन सूचनाओं को जिला स्तर पर ही संधारण किया जायेगा एवं इसे पी0डी0एफ0 फोर्मेट में सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की सुविधा दी जायेगी। उक्त सम्पत्ति रजिस्टर को जिला कलक्टर द्वारा हर तीन माह में अपडेट कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।
8. जिला कलक्टर द्वारा सम्पत्तियों संबंधी उक्त सूचना का विभागवार व जिलेवार रजिस्टर संधारित किया जावेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(ओ. पी. मीना)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
3. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों/राजकीय उपक्रम/बोर्डो/निगमों/सरकारी कम्पनीज।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ॰एस॰ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
फोन नं: 0141–2703544 फैक्स नं: 0141–2701822

क्रमांकः–रास्कूशिप/जय/संस्था–2/2019–20/1068| दिनांक 24/2/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले।

विषयः–प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) के आदेश की पालना के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः प.24(1)प्रसु/सम/अनु–1/2015 जयपुर दिनांक 17.02.2020 संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त आदेश के दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–आदेश की प्रति।

(एम.आर. बागड़िया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

क्रमांकः–रास्कूशिप/जय/संस्था–2/2019–20/1068| दिनांक 24/2/2020

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त उपायुक्त/अधिकारीगण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः– पं. 24(1)प्रसु/सम/अनु–1/2015 जयपुर, दिनांकः– 17-02-2020

परिपत्र

शासन द्वारा समय–समय पर परिपत्र/आदेश जारी किये जाकर राजकीय भवनों (आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राजकीय धनराशि से निर्मित भवनों) के शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय समारोह जो राजकीय धनराशि से आयोजित हो, चाहे वे किसी राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी संस्था के हो, में जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर/सभापति/अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जन प्रतिनिधियों, विशेषतः कार्यक्रम स्थल क्षेत्र से सम्बंधित जन प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किये जाने के सम्बंध में निर्दिष्ट किया गया है। परन्तु समय–समय पर माननीय जनप्रतिनिधियों से उक्त कम मे प्राप्त शिकायत पत्रों से स्पष्ट होता है कि अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार से जारी इन परिपत्रों/आदेशों की पालना मे लापरवाही बरती जा रही है जो कि अत्यंत गम्भीर विषय है। अतः उक्त कम मे जारी परिपत्रों प. 19(16)प्रसु/अनु–1/1995 दिनांक 14.11.1995, 23.08.1999, 23.04.2002, 30.11.2007, प. 10(2)प्रसु/अनु–1/1996 दिनांक 19.07.2001 एवं 24(1)प्रसु/अनु–1/2015 दिनांक 09.10.2015, 05.04.2018 के अतिकमण में निम्नलिखित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. राजकीय भवनों/आंशिक अथवा पूर्ण रूप से राजकीय धनराशि से निर्मित राजकीय भवनों/ सार्वजनिक भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय समारोह जो कि राजकीय धनराशि से आयोजित हों, जो कि राजकीय उपकम, बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी संस्था –पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, के हो मे स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर/सभापति/अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जन प्रतिनिधियों, विशेषतः कार्यक्रम स्थल क्षेत्र से सम्बंधित जन प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावें ।
2. माननीय जनप्रतिनिधियों को राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन, सार्वजनिक समारोह से सम्बंधित सूचनाऐं तीव्रतर संचार साधनों/माध्यमों से भेजी जाए ताकि वे समय पर उन्हें मिल जावें।
3. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि द्वारा सूचना की प्राप्ति की पुष्टि सम्बंधित अधिकारी द्वारा कर दी गई है।
4. जनप्रतिनिधिगण के बैठने की समुचित व्यवस्था कि जावे एवम् ध्यान रखा जावे कि समारोह मे आमंत्रित किसी जनप्रतिनिधि को किसी असुविधा का सामना नही करना पड़े । समारोह मे आमंत्रित जनप्रतिनिधिगण को ससम्मान बैठाने की व्यवस्था की जावें। .
5. सरकारी सेवकों को सांसदों/विधायकों से सम्पर्क के दौरान सदैव शिष्टता और सम्मान दर्शित करना चाहिए।
6. इस बात का सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए कि उन्हें क्या कहना है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुनना तथा उचित जवाब देना चाहिए।

7. राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण आदि जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही सम्पन्न कराये जावें। अधिकारीगण राजकीय भवनो के शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण आदि नहीं करें तथा शिलालेखों पर अपना नाम अंकित नहीं करवाये।
8. जिन राजकीय कार्यों को (विकास आदि से सम्बंधित) कियान्वित नहीं किया जा सकता है, अधिकारी उनके बारे मे अनावश्यक घोषणाएं नहीं करें व कोई आश्वासन भी न देवें।
9. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो/भवनों एवं बस्तियों अथवा राज्य सहायता से निर्मित विभिन्न परियोजनाओं के नाम भी अधिकारियों के नाम द्वारा सम्बोधित नहीं किये जावें।
10. राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न अभियानों, विभिन्न जनसुनवाई कार्यकमों व राजकीय समारोहों में अधिकारीगण साफा/माला नहीं पहनें।

सभी संबंधित अधिकारीगण को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना को राजस्थान सिविल सेवाए (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी। अतः समस्त राजकीय विभागों/राजकीय उपकमों/बोर्डो/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि मे पदस्थापित समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(डी. बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
4. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/कार्यालयाध्यक्षों को इस सम्बंध मे दिशा निर्देश जारी करते हुए इनकी पालना कठरोता से सुनिश्चित करावें तथा इस सम्बंध मे निरन्तर प्रभावी मॉनिटरिंग की जावें:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
7. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
8. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर–प्रचार प्रसार हेतु।

17/2/2020
(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली

कार्यालय आदेश

आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक –शिविरा / माप्र / डी–2 / विविध / 10–11 दिनांक –05–5–2011

समस्त उप निदेशक (माध्यमिक)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम / द्वितीय)

विषयः– एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं. 1580/2011 जगमाल सिंह वर्सेज स्टेट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निर्देश बाबत शिक्षण एवं विद्यालयी गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों हेतु विद्यालय भवन/भूमि एवं खेल मैदान का उपयोग नहीं करने बाबत।

प्रसंग – पत्रांक पीएस/पीएयई/2010/76 दिनांक 16.03.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 16.03.11 (छाया प्रति संलग्न) के निर्देशानुसार एस0बी0सिविल रिट पिटिशन नं. 1580/2011 जगमाल सिंह वर्सेज स्टेट के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन किसी भी राजकीय विद्यालय भवन भूमि/खेल मैदान को शैक्षिक/सहशैक्षिक गतिविधियों के अलावा अन्य किसी उपयोग हेतु नहीं दिया जावें।

सलंग्न.– उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली

क्रमांक :– शिविपा/मा0/सा0/1415 दिनांक :– 30/05/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

(1) श्रीमान .... को सूचनार्थ।

(2) समस्त प्रधानाचार्य एवं प्रबोधन केन्द्राधीक्षक राउमावि .... को भेजकर लेख है कि आपके विद्यालय एवं आपके प्रबोधन केन्द्र के अधीन समस्त विद्यालयों को प्रासंगिक पत्र के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाकर पालना से अवगत करवाने हेतु परिपत्र भिजवावें।

जिला शिक्षा अधिकारी

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड
कार्यालय आदेश

जिले में लगातार हो रही बारिश एवम विभिन्न स्थानों पर बाढ की स्थिति को देखते हुए श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आदेशित किया जाता है कि दिनांक:16–09–2019 (सोमवार) को विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु अवकाश रहेगा ।

अतिवृष्टि एवं बाढ के हालात में विद्यालय स्टाफ सजग रहकर प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा आपदा की स्थिति में आवश्यकता पडने पर राहत कार्य हेतु विद्यालय भवन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
झालावाड
दिनांक:15–09–2019

कमांक:मु./जिशिअ/झा/2019/472
प्रतिलिपि :–
1–श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
2–श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, झालावाड ।
3–श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग कोटा ।
4–जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक, झालावाड ।
5–समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ..... जिला झालावाड को देकर लेख है कि उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें ।
6–समस्त संस्था प्रधान राजकीय व निजी विद्यालय ।
7–रक्षित पत्रावली ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
झालावाड

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड

कार्यालय आदेश

जिले मे लगातार हो रही वारिश के संदर्भ मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार समस्त राजकीय व निजी विधालयो के संस्था प्रधानों को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 16.8.2019 को विधालयों मे विद्यार्थियों हेतु अवकाश रहेगा ।

अतिवृष्टि एवं बाढ़ के हालात में विधालय स्टाफ सजग रहकर प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा आपदा की स्थिति मे आवश्यकता पड़ने पर राहत कार्य हेतु विधालय भवन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
झालावाड

कमांक– मु./ जिशिअ / झा /2019/ 384 दिनांक 15.8.2019

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झालावाड ।
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग कोटा ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक झालावाड ।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को देकर लेख है कि उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे ।
6. समस्त संस्था प्रधान राजकीय व निजी विधालय ।
7. रक्षित पत्रावली ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
झालावाड

Scanned by CamScanner

.7 विद्यालय में पदस्थापित शारीरिक शिक्षकों द्वारा खेलकूद, व्यायाम, योग, अनुशासन, विद्यार्थियों की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के संबंध में संस्था प्रधान के नेतृत्व में योजनानुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

. सामुदायिक सहभागिता–

.1 प्रत्येक विद्यालय मे शाला विकास प्रबन्ध समिति एव शाला प्रबन्ध समिति का गठन किया हुआ है। उक्त दोनों समितियों की साधारण सभा की बैठक नियमित रूप से प्रति तीन माह में एक बार आवश्यक रूप से कर इसमें विद्यालय के नामांकन विशेष तौर पर बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा की जाए। विद्यालय के पास उपलब्ध आर्थिक एवं भौतिक संसाधनो पर चर्चा कर इसमें आवश्यक सहयोग लेने हेतु भी समिति के सदस्यों को प्रेरित किया जाए।

.2 प्रत्येक माह के अन्तिम कार्यदिवस के दिन संस्था प्रधान शिक्षक अभिभावक परिषद् की (PTA) बैठक आयोजित करे तथा इसमें संस्था प्रधान का यह प्रयास हो कि इसमे ज्यादा से ज्यादा अभिभावक उपस्थित हो तथा उन्हें शाला की शैक्षणिक स्थिति तथा विद्यार्थियों के बारे मे भी स्पष्ट जानकारी दी जाये तथा कमजोर विद्यार्थियों के अभिभावकों की उपस्थिति के लिए पृथक से अतिरिक्त प्रयास किये जाये. इस बैठक मे शाला के शैक्षिणिक, सहशैक्षणिक, गतिविधियों के प्रभावी आयोजन व अनुशासन पर विशेष चर्चा की जाये तथा इसका अभिलेख भी संधारित किया जाये।

. विद्यालय का भौतिक विकास –

.1 समन्वित विद्यालयो मे सम्मिलित विद्यालयों की समस्त परिसम्पत्तियां यथा– भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षणिक उपकरण एवं अन्य समस्त अभिलेख समन्वित विद्यालय के अधीन स्वत: ही आ गए हैं।

.2 शाला की परिसम्पतियों का उपयोग करने के संबंध मे सबसे पहले संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि जो स्थायी सम्पति शाला मे विद्यार्थी संख्या बढ़ने, अतिरिक्त संचालय खुलने पर भविष्य में उपयोग में आ सकती है तो ऐसी सम्पतियों को अन्य उपयोग के लिए हस्तान्तरित नहीं किया जाये।

.3 संस्था प्रधान जब यह सुनिश्चित कर ले कि जो भवन एवं भूमि भविष्य मे भी शाला के काम में नही आयेंगे तो ऐसी स्थिति में इन भवन एवं भूमि का उपयोग निम्न प्रकार प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा :–

(i) अध्यापकों/शिक्षा विभाग के कार्मिकों के आवास हेतु प्रथम प्राथमिकता
(ii) आंगनवाडी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/पंचायत भवन/पटवार घर आदि का संचालन हेतु
(iii) अन्य विभागों के कार्मिकों को आवास हेतु
(iv) स्थानीय स्तर पर सामूहिक कार्यक्रम यथा शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रम, मेले, त्योहार आदि हेतु।

: किराये का निर्धारण एवं प्राप्त राशि का उपयोग

(i) शिक्षकों/कार्मिकों को आवास व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर उन्हे मकान किराये भत्ते के रूप में वेतन के साथ मिलने वाली राशि ही किराये की राशि होगी, जिसे शाला विकास समिति के खाते मे प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करवाकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
(ii) भवन का उपयोग आंगनवाडी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/पचायत भवन/पटवार घर स्थानीय स्तर पर सामूहिक कार्यक्रम यथा शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रम, मेले, त्योहार आदि के लिये राशि शाला विकास कोष समिति (SDMC) द्वारा तय की गई राशि होगी।
(iii) भवन के अन्य उपयोग हेतु शाला विकास कोष एवं प्रबंध समिति (SDMC) से प्रस्ताव पारित करने पश्चात् ही उक्त कार्यवाही सम्पादित की जाये तथा इसमें पूर्णत: पारदर्शिता रखी जावे।
(iv) किराया राशि का उपयोग विद्यालय एवं इन्ही भवनों के रख–रखाव हेतु किया जा सकेगा।
(v) बिजली पानी आदि के संबंध में किया जाने वाला व्यय संबंधित शिक्षक/कार्मिक/किराये पर लेने वाली संस्था/व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।

: जिन समन्वित विद्यालयों के पास कम भौतिक व मानवीय संसाधन है उनमें प्रथम चरण में भामाशाहों को चिन्हित कर शाला को गोद दिया जाये और चरणबद्ध तरीके से इन सभी विद्यालय को गोद दिये

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan

Expenditure Report

SNo.	Budget Head	BFC Type	HeadType	Block Amount
1	2202-02-109-27-01	P	V	79182.00

Block Amount

SNo.	Block Amount	Bill No	Bill Date	Bill Type
1	79182.00	107	24/08/2018	Salary Arrear
Total:	79182.00			

Expenditure Amount

SNo.	Expenditure Amount	Bill No	Bill Date	Bill
1	12876.00	93	02/08/2018	Sa A
2	22005.00	94	02/08/2018	Sa Ar
3	23784.00	97	04/08/2018	
4	672964.00	1	05/04/2018	Sal
5	43581.00	212	10/01/2019	Sala Arre
6	154458.00	47	13/06/2018	Sala Arre
7	26644.00	12	16/04/2018	Surrende Bill(15 days
8	69834.00	54	16/06/2018	Salary Arrea
9	13383.00	73	16/07/2018	Salary Arrear
10	31512.00	74	17/07/2018	Surrender Bill(15 days)
11	26422.00	127	17/09/2018	Salary Arrear
12	1476.00	131	17/09/2018	DA
13	4134.00			

PayManager IFMS

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/साप्र/डी–3/नव निर्माण/3780/2018–19 दिनांक– 11/8/2018

1–समस्त उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा।

2–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा प्रथम/द्वितीय।

विषय– राजकीय विद्यालयों/कार्यालयों भवनों के लिये वर्ष 2018–19 हेतु नव निर्माण के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

विभाग में राजकीय विद्यालयों/कार्यालयों भवनों के लिये वर्ष 2018–19 हेतु भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव चाहे जा रहे है, इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की अमल में लायी जानी हैं:–

1. विद्यालय/कार्यालय में किस कार्य को प्राथमिकता से करवाया जाना है, इसका निर्धारण संस्था प्रधान द्वारा शाला प्रबन्धन एवं विकास समिति के माध्यम से व्यवहारिक रूप से कर सकता है। संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2018–19 हेतु विद्यालय में नवनिर्माण/नवीन कक्षा कक्षा निर्माण कार्यों की पहचान सूची तैयार कर शाला विकास एवं प्रबन्धन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। राज्य सरकार के संसाधनो को ध्यान मे रखते हुए निम्नाकिंत कार्यो को प्राथमिकता दी जा सकती है:–

क्र.स.	प्राथमिकता निर्माण कार्यों हेतु
1.	भवन विहीन विद्यालय
2.	कम कक्षा–कक्ष वाले विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण
3.	भवन विहीन कार्यालयों के लिए निर्माण/अतिरिक्त निर्माण
4.	छात्र–छात्राओं के शौचालय/वॉशरूम/टॉयलेट
5.	पेयजल हेतु टंकी/टाका/प्याऊ
6.	विद्यालय भवन सुरक्षा के संदर्भ में दीवार /गेट
7.	रैम्प इत्यादि
8.	कम्प्यूटर/विज्ञान प्रयोगशालाऐं
9.	वर्षा जलसरक्षंण स्त्रोत
10.	कक्षा–कक्षों की खिड़कियों और फर्श

उपर्युक्त प्राथमिकताओं के अतिरिक्त सघन छात्र संख्या वाले विद्यालयों, वंचित वर्ग बहुल विद्यालयों, जनजातीय क्षेत्र विद्यालयो एवं पिछड़े क्षेत्र के विद्यालयों के कक्षा–कक्षों व भवनों के जीर्ण–शीर्ण तथा क्षतिग्रस्त होने पर प्रथम प्राथमिकता दी जावें।.

2. बिन्दु संख्या–01 के अनुरूप कार्यों का विद्यालय विकास एंव प्रबन्धन समिति के माध्यम से आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) के कार्यालय में कार्यरत तकनीकी अधिकारी के माध्यम से आवश्यक (तकमीना) तकनीकी अनुमान/लागत का विवरण संबंधित तकनीकी अधिकारी से तैयार करवाकर शाला/संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंषा सहित नवनिर्माण के प्रस्ताव निदेशालय में प्रेषित किए जाएगें।
3. शाला/संस्था प्रधान तकनीकी अनुमान की कार्यवाही से पूर्व अपने स्तर पर स्थानीय आधार पर अनुमानित लागत/व्यय का भी आवश्यक रूप से विवरण अंकित करें ताकि तकनीकी अनुमान में तकनीकी अधिकारी को स्पष्ट आधार प्राप्त हो सकें।
4. तकनीकी अधिकारी संबंधित विद्यालय का निरीक्षण करने के पश्चात ही तकनीकी अनुमान तैयार कर संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाएगें अन्यथा नहीं। उक्त कार्यवाही के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निम्नांकित समय सारणी उपयोग में ली जाएगी:–

(क)	शाला/संस्था प्रधान द्वारा नवनिर्माण सम्बन्धी कार्यों का चिन्हीकरण करना	03 जुलाई, 2018 तक
(ख)	चिन्हीकरण पश्चात विद्यालय विकास समिति की बैठक कर आवश्यक प्रस्ताव पारित करवाना	10 जुलाई, 2018 तक
(ग)	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को तकनीकी अनुमान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित	14 जुलाई, 2018
(घ)	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा तकनीकी अनुमान तैयार करवाना	प्रथम चरण:– 21 जुलाई 2018 द्वितीय चरण:– 27 जुलाई 2018
(ड़)	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशालय में समेकित प्रस्ताव प्रेषित करना	08, अगस्त 2018 तक
(च)	केवल राजकीय भवनों में संचालित विद्यालयों के ही नवनिर्माण के प्रस्ताव स्वीकार योग्य होगे। किराये के भवनों में संचालित के नहीं। यदि किसी दानदाता द्वारा भवन राज्य सरकार को समर्पित कर दिया गया है एवं नामकरण के संबंध में सक्षम स्वीकृति जारी की जा चुकी है तो उन विद्यालयों में भी नवनिर्माण के कार्य करवाएं जा सकेगें।	

(छ)	शाला/संस्था प्रधान द्वारा अपने प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करने होगें। तदुपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समेकित प्रस्ताव तैयार किये जाकर निदेशालय को प्रेषित किए जावेगें।

4. उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा वित्तीय प्रावधान हेतु वित्तीय सलाहकार को आवश्यक अनुमोदित प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भिजवाया जाकर आवंटन सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

नोटः–गत वर्षो में विद्यालयो को आवंटित बजट का उपयोगिता प्रमाण भी संमेकित कर इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाये जा सकें।

संलग्न–प्रपत्र

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

प्रपत्र

राजकीय शाला/कार्यालय भवनों की नवनिर्माण हेतु भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों का प्रपत्र

जिला–

क्रम	संस्था/शाला का नाम	
1	प्रस्तावित नवनिर्माण कार्य का विवरण (प्रस्ताव संलग्न करें)	
2	अनुमानित लागत राशि (तकनीकी अधिकारी के अवमान की प्रति लगावें)	
3	भवन सा.नि.वि. की सूची में है अथवा विभागीय सूची में है	
4	भवन के राज्याधीन एवं विभाग की सूची में शामिल का वर्ष	
5	भवन शहरी क्षेत्र में स्थित है या ग्रामीण क्षेत्र में	
6	विशेष विवरण	

गत तीन वर्षो में नव निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का वर्षवार विवरण

वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि का विवरण	उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि
15–16				
16–17				
17–18				

संलग्नः–तकनीकी अनुमान एंव
एसडीएमसी प्रस्ताव

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंषा

उक्तानुसार नवनिर्माण के प्रस्ताव में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए नवनिर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है।

दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
(हस्ताक्षर मय मोहर)

आवश्यक
ई-मेल

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/साप्र/डी–2/भवन मरम्मत/3517/2018–19 दिनांक– 27-04-2018

1–समस्त उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा ।

2–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा प्रथम/द्वितीय ।

विषय– राजकीय विद्यालयों/कार्यालयों भवनों के लिये वर्ष 2018–19 हेतु भवन मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

विभाग में राजकीय विद्यालयों/कार्यालयों भवनों के लिये वर्ष 2018–19 हेतु भवन मरम्मत हेतु प्रस्ताव चाहे जा रहे है, इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की अमल में लायी जानी हैं:–

1. राजकीय विद्यालय/कार्यालय में किस कार्य की मरम्मत प्राथमिकता से करवाई जावें, इसका निर्धारण संस्था प्रधान द्वारा शाला प्रबन्धन एवं विकास समिति के माध्यम से व्यवहारिक रूप से किया जाकर संस्था प्रधान से अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2018–19 हेतु विद्यालय में मरम्मत योग्य कार्यों की पहचान सूची तैयार कर शाला विकास एवं प्रबन्धन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। राज्य सरकार के संसाधनो को ध्यान मे रखते हुए निम्नाकिंत कार्यो को प्राथमिकता दी जा सकती है:–

क्र.स.	प्राथमिकता मरम्मत कार्यों हेतु
1.	पेयजल हेतु निर्मित टंकी/टांका/प्याऊ इत्यादि
2.	छात्र–छात्राओं के पृथक शौचालय/वॉशरूम/टॉयलेट इत्यादि
3.	कक्षा–कक्षों की लिकेज शुदा छत/पट्टियों में दरार
4.	विद्यालय भवन सुरक्षा के संदर्भ में टूटी/क्षतिग्रस्त दीवार/गेट
5.	वास्तु धरोहर महत्व के पुरातन भवन/कक्ष इत्यादि
6.	कम्प्यूटर/विज्ञान प्रयोगशालाएँ
7.	रैम्प इत्यादि
8.	वर्षा जल संरक्षण स्त्रोत

9.	कक्षा–कक्षों की टूटी हुई खिड़कियां और फर्श
10.	कक्षा–कक्षों के क्षतिग्रस्त श्यामपट्ट

उपर्युक्त प्राथमिकताओं के अतिरिक्त सघन छात्र संख्या वाले विद्यालयों, वंचित वर्ग बहुल विद्यालयों, जनजातीय क्षेत्र विद्यालयो एवं पिछड़े क्षेत्र के विद्यालयों के कक्षा–कक्षों व भवनों के जीर्ण–शीर्ण तथा क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत हेतु प्राथमिकता दी जावें।

2. बिन्दु संख्या–01 के अनुरूप कार्यो का विद्यालय विकास एंव प्रबन्धन समिति के माध्यम से आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) के कार्यालय में कार्यरत तकनीकी अधिकारी के माध्यम से आवश्यक (तकमीना) तकनीकी अनुमान/लागत का विवरण संबंधित तकनीकी अधिकारी से तैयार करवाकर शाला/संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव निदेशालय में प्रेषित किए जाएगें। शाला/संस्था प्रधान निदेशालय को सीधे ही प्रस्ताव प्रेषित ना करावें बल्कि सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही मरम्मत के प्रस्ताव प्रेषित करावें।

शाला/संस्था प्रधान तकनीकी अनुमान की कार्यवाही से पूर्व अपने स्तर पर स्थानीय आधार पर अनुमानित लागत/व्यय का भी आवश्यक रूप से विवरण अंकित करें ताकि तकनीकी अनुमान में तकनीकी अधिकारी को स्पष्ट आधार प्राप्त हो सकें।

तकनीकी अधिकारी संबंधित विद्यालय का निरीक्षण करने के पश्चात ही तकनीकी अनुमान तैयार कर संस्था प्रधान को उपलब्ध करवाएगें अन्यथा नहीं।

3. उक्त कार्यवाही के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निम्नाकिंत समय सारणी उपयोग में ली जाएगी:–

(क)	शाला/संस्था प्रधान द्वारा मरम्मत सम्बन्धी कार्यो का चिन्हीकरण करना	23 मई 2018 तक
(ख)	चिन्हीकरण पश्चात विद्यालय विकास समिति की बैठक कर आवश्यक प्रस्ताव पारित करवाना	03 जून 2018 तक
(ग)	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को तकनीकी अनुमान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित	10 जुलाई,18तक
(ध)	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा तकनीकी अनुमान तैयार करवाना	प्रथम चरण:–14 जुलाई, 2018 द्वितीय चरण:– 21 जुलाई 2018
(ड़)	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशालय में समेकित प्रस्ताव प्रेषित करना	28 जुलाई, 2018 तक
(च)	केवल राजकीय भवनों में संचालित विद्यालयों के ही मरम्मत प्रस्ताव स्वीकार योग्य होगे। किराये के भवनों में संचालित के नहीं। यदि किसी दानदाता द्वारा भवन राज्य सरकार	

	को समर्पित कर दिया गया है एवं नामकरण के संबंध में सक्षम स्वीकृति जारी की जा चुकी है तो उन विद्यालयों में भी मरम्मत के कार्य करवाएं जा सकेगें।
(छ)	शाला/संस्था प्रधान द्वारा अपने प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करने होगें। तदउपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समेकित प्रस्ताव तैयार किये जाकर निदेशालय को प्रेषित किए जावेगें।

4. उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा वित्तीय प्रावधान हेतु वित्तीय सलाहकार को आवश्यक अनुमोदित प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भिजवाया जाकर आवंटन सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

संलग्न–प्रपत्र

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रपत्र

राजकीय शाला/कार्यालय भवनों की मरम्मत हेतु भिजवाये जाने वाले प्रस्तावों का प्रपत्र

जिला–

क्रम	संस्था/विद्यालय का नाम	
1	प्रस्तावित मरम्मत कार्य का विवरण (प्रस्ताव संलग्न करें)	
2	अनुमानित लागत राशि(तकनीकी अधिकारी के अवमान की प्रति लगावें)	
3	भवन सा.नि.वि. की सूची में है अथवा विभागीय सूची में है	
4	भवन के राज्याधीन एवं विभाग की सूची में शामिल का वर्ष	
5	भवन शहरी क्षेत्र में स्थित है या ग्रामीण क्षेत्र में	
6	विशेष विवरण	

गत तीन वर्षो में मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि का वर्षवार विवरण

वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि का विवरण	उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि
15–16				
16–17				
17–18				

संलग्नः–तकनीकी अनुमान एंव
एसडीएमसी प्रस्ताव

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर
दूरभाष नम्बर – मोबाईल नम्बर

जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंषा

उक्तानुसार मरम्मत प्रस्ताव में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है।

दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–
(हस्ताक्षर मय मोहर)

दूरभाष नम्बर –

मोबाईल नम्बर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा / माध्य / साप्र / डी–2 / विविध / वो–II / 2010 दिनांक:–16 अप्रेल 2015

परिपत्र

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(1)शिक्षा–6 / 2015 दिनांक 7.4.2015 द्वारा विद्यालय परिसर में जीर्ण–शीर्ण / क्षतिग्रस्त भवनों / ढांचों को भूमिदोज (गिराने) के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त प्रशासनिक आदेशों को प्रक्रियात्मक सरलीकरण के क्रम में निरस्त करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. जीर्ण शीर्ण / क्षतिग्रस्त भवनों का सर्वे :–

1.1 संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित जीर्ण–शीर्ण अवस्था के कक्षा कक्ष एवं अन्य भवन (ढांचा) को भूमिदोज (गिराने) के संबंध में विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्ध समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) का प्रस्ताव दो प्रतियों में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित किया जावेगा।

1.2 प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में विद्यालय विकास / विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) द्वारा पारित प्रस्ताव संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

1.3 बिन्दु संख्या 1.2 में वर्णित प्रस्ताव के अभाव मे सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा अग्रिम कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं प्राप्त प्रस्ताव प्रथम स्तर पर ही खारिज किया जाकर, संबंधित विद्यालय को प्रस्ताव प्राप्त होने के 10 दिवस की अवधि में सूचित किया जावेगा।

2. तकनीकी जॉच (सर्वे) :–

2.1 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकरी (माध्यमिक) प्राप्त प्रस्ताव की एक प्रति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के संबंधित जिला कार्यालय के **सहायक अभियन्ता को प्रस्ताव प्राप्ति के 10 दिवस की अवधि** में आवश्यक जॉच (सर्वे रिपोर्ट) हेतु प्रेषित की जायेगी।

2.2 सहायक अभियन्ता **प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस की अवधि** में संस्था प्रधान की उपस्थिति में **मौका निरीक्षण** कर विद्यालय में उपलब्ध अभिलेख (यदि कोई हो) का अवलोकन एव विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) से विचार विमर्श तथा **तकनीकी मानकों के आधार पर** भवन / ढांचों के सुरक्षित नहीं होने से संबंधित प्रमाण–पत्र जारी कर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित करेंगे।

3. जिला स्तरीय निष्पादक समिति:–

3.1 प्राप्त तकनीकी सर्वे प्रपत्र (रिपोर्ट) (बिन्दु संख्या 2.2 में वर्णित) के आधार पर जीर्ण–शीर्ण / क्षतिग्रस्त भवन / ढांचे के भूमिदोज किये जाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिला स्तरीय निष्पादक समिति अधिकृत होगी एवं लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.2 जिला स्तरीय निष्पादक समिति का गठन निम्नानुसार है–

(i) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा – अध्यक्ष
(ii) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के जिला कार्यालय के सहायक अभियन्ता – सदस्य
(iii) सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार, जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक शिक्षा – सदस्य
(iv) अति. जि.प.स. सम्बन्धित जिला कार्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद --सदस्य सचिव

3.3 समिति के निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति/संस्था **निर्णय के 15 दिवस की अवधि में** निदेशक माध्यमिक शिक्षा को **अपील** कर सकेगा/सकेगी, जिसका **निस्तारण अधिकतम 15 दिवस** की अवधि में किया जायेगा।

3.4 समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) आवश्यक आदेश जारी कर, प्रतिलिपि निदेशालय, संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं सम्बन्धित संस्था प्रधान को पृष्ठांकित करेंगें। जारी की गई आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित कार्यालयों के अभिलेखों में सुरक्षित रखी जायेगी।

3.5 जिला स्तरीय निष्पादन समिति की **मासिक बैठक आहुत कराने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव होगा।**

4 क्रियान्वयन एवं आय–व्यय:–

4.1 भवन/ढांचें को गिराने से संबंधित कार्यवाही विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) द्वारा की जायेगी।

4.2 गिराने के संबंध में होने वाले **आय–व्यय एवं आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया** की पूर्व जानकारी संबंधित विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति (SDMC/SMC) को देने का उत्तरदायित्व संबंधित **शाला प्रधान** का होगा।

4.3 गिराने के बाद के **मलबे** को विद्यालय परिसर से **अधिकतम 7 दिवस की अवधि में** हटाने का **दायित्व संस्था प्रधान** का होगा।

4.4 विद्यालय परिसर में निकट अवधि में प्रस्तावित नव निर्माण में मलबे को आवश्यकतानुसार उपयोग में लिया जा सकेगा अथवा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति/ (SDMC/SMC) के द्वारा खुली बोली से नीलाम किया जायेगा।

4.5 मलबे से प्राप्त आय–व्यय विद्यालय विकास कोष का भाग होगा। यदि अवशेष मलबे को नवनिर्माण के उपयोग में लिया जाता है तो नवनिर्माण की लागत में से आवश्यक अंश कम किया जायेगा।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/साप्र/डी–2/विविध/वो–II/12–13 दिनांक:–16 अप्रेल 2015

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2. आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
5. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
7. संपादक शिविरा/प्रकाशन
8. वैब पोर्टल।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक(सामान्य प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर